106

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

R-159-I/13

1. श्रीमती मलुआ पत्नी स्व0 बेचीलाल गौतम, उम्र 75 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम बैरहना, तहसील विरसिंहपुर, जिला सतना (म0प्र0),
2. श्रीमती सकुन्तला त्रिपाठी पत्नी मिथिला प्रसाद त्रिपाठी पुत्री स्व0 बेचीलाल गौतम उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम देवरी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0),
3. श्रीमती लता देवी पत्नी महेन्द्र त्रिपाठी पुत्री स्व0 बेचीलाल गौतम, उम्र 40 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम सिरसहा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना (म0प्र0),

.....**निगरानीकर्ता**

बनाम

राजीवलोचन उर्फ रामकृपाल तनय बालमीक उम्र 75 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम उजरौधा तहसील नागौद जिला सतना (म0प्र0), ...**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. के राजस्व प्र.क्र. 36ए/6/2011–12 आदेश दिनांक 01.10.2012 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षेप मे तथ्य निम्न है :–

यह कि निगरानीकर्ता क्र01 के पति व 2,3 के पिता स्व0 बेचीलाल गौतम अपने जीवनकाल में आराजी नं0 275 रकवा 0.80 ए., 343 रकवा 1.43एकड़, 344 रकवा 0.06, 345/2 रकवा 0.42, कुल 4 किता कुल रकवा 3.25 एकड़ स्थित ग्राम रगौली तह0 बिरसिंगपुर जिला सतना (म0प्र) को गैरनिगरानीकर्ता के पिता स्व0 बालमीक तनय स्वामीदीन निवासी ग्राम बैरहना से 90 रूपये में सन् 1953 मे क्रय किया था व क्रय के बाद कब्जा दखल निगरानीकर्तागण के पति व पिता को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 159–एक/2013 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-3-13	आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना के प्रकरण कमांक 36 अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 01–10–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में तहसीलदार, तहसील बिरसिंहपुर के आदेश दिनांक 01–10–2012 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के आदेश के अंतिम पद का निष्कर्ष इस प्रकार है :– " अतएव न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महो. मझगवॉ के उपरोक्त अपीली आदेश के अनुकम में एंव आवेदक व्दारा प्रस्तुत सजना खानदान तथा साक्ष्य के आधार पर ग्राम केगरेलही की भूमि खसरा नं. 275 रकबा 0.324 है. 343 रकबा 0.579 है. 344 रकबा 0.243 है. 345/2 रकबा 0.170 है. किता 4 कुल रकबा 1.316 है. का रिकार्ड सुधार एंव नामान्तरण अनावेदक के बजाय आवेदक राजीव लोचन उर्फ रामकृपाल पिता बालमीक ब्रा. निवासी ग्राम बैरहना के नाम स्वीकृत किया जाता है। " स्पष्ट है कि तहसीलदार का उक्तादेश अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में है। किसी वरिष्ठ न्यायालय की आज्ञा के पालन में यदि कनिष्ठ राजस्व न्यायालय आदेश देता है तब अपील उसी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में होगी। वैसे भी तहसीलदार का आदेश दिनांक 01–10–2012 अंतिम प्रकृति का है जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल में सीधे	

निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य